FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

सत्यनारायण बनाम कृष्ण कुमार

किस्म मुकदमा दावा नं. 7 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
20.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 29.09.2021 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)
29.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायतः– जोरावर नगर में आयोजित शिविर दिनांक 01.12.2021 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी महोदय सीकर मीटिंग/कार्यशाला में पधारे हुये है। रीडर उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर
01.12.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– जोरावर नगर में वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 01/12/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– जोरावर नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
7/2017	2017/049	13.01.2017	01.12.2021

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र हणमान उर्फ हनुमानराम, जाति ब्राह्मण निवासी नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार
2. राजू उर्फ राजेन्द्र
   पुत्रगण रामलाल उर्फ रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. भूमिधारी तहसीलदार, श्रीमाधोपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर, वादी अभिभाषक।
श्री दिलीप सिंह मंगावा, प्रतिवादीगण नं. 1 से 2 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर –प्रतिवादी नं. 3

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम नालोट पटवार हल्का जो[illegible] जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 340 कुल रकबा 1.9800 हैक्टर के [illegible] रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी वादी एंव प्रतिवादिया संख्या 1 ता 2 के [illegible] भूमि खसरा नम्बर 87, 88 कुल किता 2 कुल रकबा 3.63 हैक्टर के हिस्सा 1/2 की ख[illegible]दारी वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी * श्रीमाधोपुर (सीकर) * सत्यमेव जयते

01/12/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1 ता 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 आपस में एक ही परिवार से है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त भूमियों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की पैतृक कृषि भूमियों है जिनका मौके पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 340 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज होकर मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 87, 88 कुल किता 2 कुल रकबा 3.63 हैक्टर के हिस्सा 1/2 पर वादी अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है। इसी अनुसार पक्षकारान् मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसलिए उक्त भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 को वादी की भूमियों के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं होने से वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वकील वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 340 रकबा 1.98 हैक्टर की खातेदारी से वादी का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार अकेले प्रतिवादी सं. 1 व 2 को घोषित करवाने एंव खसरा नम्बर 87, 88 कुल किता 2 कुल रकबा 3.63 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादी अकेले खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने बाबत उक्त दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 2 की ओर से श्री दिलीप कुमार मंगावा एड0 ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में दिनांक 11.02.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जरिये पत्रांक 2110/भू.अ./2020 दिनांक 21.09.2020 के द्वारा तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामां पेश कर दिये जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के आधार पर बहस सुनी जाने का निवेदन वादी अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:58 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
01/12/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 आपस में एक ही परिवार से है तथा उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने बाबत वादपत्र पेश किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमियों में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज होने वाली भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 0.0825 हैक्टर भूमि हिस्से में ज्यादा आने बाबत रिपोर्ट अंकित की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम हिस्से में ज्यादा आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दरों के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना उचित प्रतित होता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 340 कुल रकबा 1.9800 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से वादी का नाम हजफ किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 87, 88 कुल किता 2 कुल रकबा 3.63 हैक्टर के हिस्सा 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वादी के मुकाबले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने वाली भूमि 0.0825 हैक्टर अधिक आने से उक्त भूमि का वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरो से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:38 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 01/12/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

01/12/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– जोरावर नगर

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– जोरावर नगर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

01/12/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
दिलीप सिंह
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
कैम्पः– जोरावर नगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:58 IST
Reason: SelfAttested